राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प० 3(55) नविवि / 3 / 02 जयपुर दिनांक : 30.9.2005

संशोधन

सार्वजनिक व चेरीटेबल संस्थाओ को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबध में नीती बाबत जारी इस विभाग की समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.2.2005 में वर्णित निर्देश के कम संख्या - 16 के पश्चात निम्न प्रकार जोड़ा जाता है :

राज्य सरकार द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं / अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक भवनो हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है उनमें ऐसी महिलाएँ एवं उनके पति जो आयकरदाता नहीं है अथवा बी० पी० एल० कार्ड धारक है उन महिलाओं एवं उनके परिवारजनों को फीस / शुल्क में कम से कम 50% की रियायत संबंधित संस्थान द्वारा दी जावेगी ।

आज्ञा से

(सी० एस० बेनीवाल)
शासन उपसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. निजी सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
8. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. अध्यक्ष / सचिव नगर सुधार न्यास अजमेर (समस्त)
10. रक्षित पत्रावली ।